न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00099RAAJodhpur2020-43RTA223 Nimbaram Vs Bhaduram etc

निम्बाराम पुत्र गोकलराम, जाति देवासी; राईका
निवासी- खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. भादूराम पुत्र गोकलराम के कायम मुकामः -
   1.1. पूनाराम पुत्र स्व. भादूराम
   1.2. सुमेरराम पुत्र स्व. श्री भादूराम जातियान् देवासी(राईका) निवासी- खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
   1.3. श्रीमती बेबी पुत्री स्व. भादूराम पत्नी किशनाराम जाति देवासी(राईका) निवासी- सालवा कलां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
   1.4. श्रीमती कौशल्या पुत्री स्व. श्री भादूराम, पत्नी राजूराम, जाति देवासी, निवासी- रावनियाना, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
   1.5. श्रीमती बिच्छूदेवी पुत्री स्व. भादूराम, पत्नी ओमाराम जाति देवासी, निवासी- अरटिया कलां, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
   1.6. श्रीमती नथकी पत्नी स्व. भादूराम, जाति देवासी, निवासी- खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. श्रवणराम पुत्र गोकलराम, जाति देवासी(राईका) निवासी- ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2020 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2011 भादूराम बनाम निम्बाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सुरजमल नवीन, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/6
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2011 अनवान भादूराम बनाम निम्बाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 जून 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 904 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा के संबंध में धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर दिनांक 04 मार्च 2020 को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 904 रकबा 25.02 बीघा की खातेदारी बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बिलाड़ा की थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदार बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बिलाड़ा ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1966 के नियम 20 के तहत उक्त भूमि की सार्वजनिक निलामी की गई एवं अंतिम निलामी के रूप में अीपलांट निंबाराम ने 41,200 रूपये दिनांक 26.04.1989 को जमा कराये एवं ग्राम खेजड़ला में सहकारी समिति के गोदाम भवन पर स्वीकृत कर अपीलांट निम्बाराम को भूमि का खातेदार घोषित किया गया एवं दिनांक 14.09.1989 को सचिव बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा अपीलांट निम्बाराम के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचान कर दिया, जिसकी पालना में नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर अपीलांट निम्बाराम के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज की गई। विवादित भूमि अपीलांट की स्वअर्जित, खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड के विरूद्ध केवल जुबानी आधार पर वादीगण की भूमि होना मानने में भारी भूल की गयी है, जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री इसी आधार पर अपास्त योग्य है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद की पत्रावली तारीख पेशी 07.01.2013 को बहस हेतु नियत थी। उसके बाद मूल दावे की पत्रावली पेशी पर नहीं आयी तो अपीलांट प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि दावे की पत्रावली को ढूंढवायी जाकर पेशी पर ली जावे। करीब तीन वर्ष तक मूलदावे की पत्रावली को पेशी पर नहीं लिया गया तो अपीलांट/प्रतिवादी ने दिनांक 07.04.2017 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा से दावे की संपूर्ण पत्रावली की नकल दिलाने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गई तो अपीलांट/प्रतिवादी ने न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर ने दिनांक 03.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा को आदेश प्रदान किया कि पंजीबद्ध पत्रावली के नष्ट या गुम होने या चोरी हो जाने का कौन कर्मचारी जिम्मेदार है, जिसकी जॉच कर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश की पालना करते हुए विचारण न्यायालय ने मूल वाद एवं विविध प्रार्थना पत्र की पत्रावली को दिनांक 13.11.2017 को पुनः पेशी लिया गया। तब अपीलांट हाजिर नहीं था न ही उसके अधिवक्ता हाजिर थे। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को पुनः पेशी पर लिये के पश्चात अपीलांट को सूचना बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की स्वअर्जित आय से खरीदी गई भूमि है। रेस्पोडेंट्स फर्जी तरीके से अपीलांट की उक्त आराजी को हथियाना चाहते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायलाय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली तथा विधिसम्मत नहीं पाये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट पर गलत तामील करवायी तथा पत्रावली गुम हो जाने की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। दिनांक 26.05.2020 को पटवारी हल्का मौके पर नाम चौक करने आया तो अपीलांट ने उससे पूछा कि किस बात के लिए उसके खेत का नाम किया जा रहा है, तब पटवारी ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा ने इस खेत के तीन हिस्से का फैसला रेस्पोडेंट भादूराम वगैरह के पक्ष में कर दिया है तथा बंटवाड़े का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिया है तो अपीलांट ने बिलाडा जाकर उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के न्यायालय से मालूम करवाया तो दिनांक 28.05.2020 को मालूम हुआ कि दिनांक 04.03.2020 को विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है, तब अपीलांट ने जानकारी से अदंर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2020 को अपास्त फरमाया जावे एवं वादीगण के वाद को मय हर्जे खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2020(1)डी.एन.जे.(राज)पेज 265 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंस अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या एक व दो तीनों ही सगे भाई है तथा तीनों ही एक ही मकान में रहते है। वादग्रस्त आराजी तीनों भाईयों की सहदायगी की संपति से खरीद की गई है। वक्त खरीद सारी कागजी कार्यवाही की अपीलांट द्वारा किये जाने से वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम से दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजी में मौके पर तीनों भाईयों के तीन अलग-अलग बंट किये हुए है। अपीलांट के कथन कि मेरे पक्ष में वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री की गई, के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। अपीलांट का कथन है कि पत्रावली गुम होने पर जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसकी पालना में पत्रावली पुनः पेशी पर ली गई। जब पत्रावली पेशी पर ली गई तो वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्यों नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय को गुमसुदा पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर दिनांक 13.11.2017 से पत्रावली को पुनः सुनवाई में रखे जाने की सूचना अपीलांट को दिये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। लिहाजा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 904 रकबा 25.02 बीघा अपीलांट की पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 14.09.1989 के जरिये सचिव, बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. से खरीदसुदा भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2017 को पत्रावली बरामद करने के पश्चात अपीलांट को सूचना बाबत सम्मन जारी किये बिना तथा उसे साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2011 अनवान भादूराम बनाम निम्बाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2020 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलांट को जवाब प्रस्तुत एवं साक्ष्य-सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर